न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : 92/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2021/859

1. श्री बद्रीलाल पिता श्री हरिराम ब्राह्मण, आयु–वयस्क, निवासी– खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती झमकूबाई पत्नि श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
3. श्री नानालाल पुत्र श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
4. श्रीमती नारायणबाई पुत्री श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
5. श्री भेरूलाल पुत्र श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
6. श्री शांतिलाल पुत्र श्री उदयलाल ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
7. श्री नारायणलाल पुत्र श्री कालु ब्राह्मण, निवासी खेरोदा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 13.06.2022

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी [illegible] (क) आराजी नम्बर 1852/1 रकबा 05 बिस्वा, के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है, जिसकी पुष्टि में नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 पेश है। हाल ही में हुए बंदोबस्त के बाद प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की उपरोक्त आराजी नवीन राजस्व रेकर्ड में आराजी नम्बर 6246/4547 किता रकबा 0.0500 हेक्टर स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

परिशिष्ठ (ख) आराजी नम्बर 1852/2 रकबा 2.10 बिस्वा आराजीयात में विपक्षी संख्या 2 से 6 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है, जिसकी पुष्टि में नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 पेश है। हाल ही में हुए बंदोबस्त के बाद विपक्षी संख्या 2 से 6 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की उपरोक्त आराजी नवीन राजस्व रेकर्ड में आराजी नम्बर 4547 किता 0.0300 हेक्टर दर्ज है। परिशिष्ठ (ग) आराजी नम्बर 1852/3 किता रकबा 2.10 बीस्वा आराजी विपक्षी संख्या 7 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है, जिसकी पुष्टि में नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 पेश है। हाल ही में हुए बंदोबस्त के बाद विपक्षी संख्या 7 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की उपरोक्त आराजी नवीन राजस्व रेकर्ड में आराजी नम्बर 6247/4547 किता रकबा 0.0300 दर्ज है। ताईद में नकल जमाबंदी पेश हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

2. यह कि इस प्रार्थना पत्र की कलम 1 के परिशिष्ठ (क), (ख), (ग) में अंकित आराजी नम्बर 1852/1 क्षेत्रफल 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1852/2 क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1852/3 क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा के मूल आराजी नम्बर 1852 क्षेत्रफल 10 बिस्वा थे, जो विभाजन से अलग-अलग अंकित हुई।

3. यह कि इस प्रार्थना पत्र की कलम 1 के परिशिष्ठ (क) में अंकित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1852/1 क्षेत्रफल 05 बिस्वा भूमि मूल आराजी नम्बर 1852 में पश्चिमी दिशा की तरफ होकर उत्तर से दक्षिण पूर्ण लम्बाई में है। परिशिष्ठ (ख) में अंकित विपक्षी संख्या 2 से 6 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1852/2 क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा भूमि मूल आराजी नम्बर 1852 में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1852/1 के पूर्वी दिशा की तरफ होकर उत्तर से दक्षिण पूर्ण लम्बाई में है। परिशिष्ठ (ग) में अंकित विपक्षी संख्या 7 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1852/3 क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा भूमि मूल आराजी नम्बर 1852 में पूर्वी दिशा की तरफ होकर उत्तर से दक्षिण पूर्ण लम्बाई में है। ताईद में नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

4. यह कि नवीन राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की आराजी नम्बर 6246/4547 का क्षेत्रफल 05 बिस्वा के अनुसार 0.0540 हेक्टर अंकित होना चाहिए, परन्तु 0.0540 हेक्टर के स्थान पर अशुद्ध रूप से 0.0500 हेक्टर दर्ज कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 2 से 6 की आराजी नम्बर 4547 का क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा के अनुसार 0.0270 हेक्टर अंकित होना चाहिए, परन्तु 0.0270 हेक्टर के स्थान पर अशुद्ध रूप से 0.0300 हेक्टर दर्ज कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 7 की आराजी नम्बर 6247/4547 का क्षेत्रफल 2.10 बिस्वा के अनुसार 0.0270 हेक्टर अंकित होना चाहिए, परन्तु 0.0270 हेक्टर के स्थान पर अशुद्ध रूप से 0.0300 हेक्टर दर्ज कर दिया गया है।

5. यह कि नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजी नम्बर 6246/4547 पूर्व में अंकित आराजी नम्बर 1852/1 के स्थान पर, विपक्षी संख्या 2 से 6 की आराजी नम्बर 4547 पूर्व में अंकित आराजी नम्बर 1852/2 के स्थान पर, विपक्षी संख्या 7 की आराजी नम्बर 6247/4547 पूर्व में अंकित आराजी नम्बर 1852/3 के स्थान पर ही अंकित होनी चाहिए थी, परन्तु अशुद्ध रूप से गलत अंकन कर दिया गया है एवं नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में क्षेत्रफल भी अशुद्ध रूप से गलत अंकित कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

6. यह कि नवीन राजस्व रिकॉर्ड में हुई उन अशुद्धियों को शुद्ध किया जाकर नवीन राजस्व रिकॉर्ड को सही किये जाने के लिए प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 03.12.2021 को निवेदन किया गया, जिस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा इसके लिए सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की बात कही गई, जिस पर प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

7. प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के जरिये निम्न अनुतोष चाहा ग[illegible]

1. कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 [illegible] विशिष्ठ (क) में [illegible] प्रार्थी की आराजी नम्बर 6246/4547 का क्षेत्रफल 0.0500 हेक्टर के स्थान पर [illegible] किया जाकर 0.0540 हेक्टर अंकित कराया जावे एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की इस आराजी नम्बर 6246/4547 को गत आराजी नम्बर 1852/1 के स्थान पर शुद्ध रूप से अंकित कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

2. कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (ख) में अंकित विपक्षी संख्या 2 से 6 की आराजी नम्बर 4547 का क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टर के स्थान पर शुद्ध किया जाकर 0.02700 हेक्टर अंकित कराया जावे एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में विपक्षी संख्या 2 से 6 की इस आराजी नम्बर 4547 को गत आराजी नम्बर 1852/2 के स्थान पर शुद्ध रूप से अंकित कराया जावे।

2. कि इस प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (ग) में अंकित विपक्षी संख्या 7 की आराजी नम्बर 6247/4547 का क्षेत्रफल 0.0300 हेक्टर के स्थान पर शुद्ध किया जाकर 0.0270 हेक्टर अंकित कराया जावे एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में विपक्षी संख्या 7 की आराजी नम्बर 6247/4547 को गत आराजी नम्बर 1852/3 के स्थान पर शुद्ध रूप से अंकित कराया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश कि गई। जो इस प्रकार है :-

i. यह कि वाद पत्र की कलम 1 रिकार्ड अनुसार है। गत आराजी 1852/1 रकबा 00-05 बीघा, आराजी संख्या 1852/2 रकबा 00-02-10 बीघा आराजी संख्या 1852/3 रकबा 00-2-10 बीघा नामान्तरण से 2720 निर्णय 24.1.2004 विभाजन उपरान्त मूल नम्बर 1852 रकबा 0-10 बीघा से बने है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकार्ड में स्थिति इस प्रकार है कि आ.नं. 6246/4547 रकबा 0.0500 हेक्टर बद्रीलाल पिता हरिराम के नाम दर्ज है जो गत नम्बर 1852/1 से बना है। इसी प्रकार 4547 रकबा 0.0300 हेक्टर झमकूबाई पत्नी उदयलाल 1/5 नानालाल पुत्र उदयलाल हिस्सा 1/5, नारायणीबाई पुत्री उदयलाल हिस्सा 1/5 भैरूलाल पुत्र उदयलाल हिस्सा 1/5, शांतिलाल पुत्र उदयलाल हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। [illegible] गत नम्बर आ. नं. 1852/2 रकबा 00-2-10 बीघा है। [illegible] रकबा 0.0300 हेक्टर नारायणलाल पुत्र [illegible] जिसका गत आ.नं. 1852/3 रकबा 00-2-10 बीघा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

ii. वाद पत्र की कमल संख्या 2 रिकार्ड अनुसार साबित है।

iii. वाद पत्र की कमल संख्या 3 रिकार्ड अनुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)

iv. वादपत्र की कमल संख्या 4 के सम्बन्ध में यह है कि बिस्वा छोटी ईकाई होने से बीघा/बिस्वा को हेक्टेयर में परिवर्तित करने के समय पूर्णांक इकाई में लिया गया है।

v. वाद पत्र की कलम संख्या 5 के सम्बन्ध में यह है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्तमान आराजी नम्बर 6246/4547 आराजी नम्बर 6247/4547 की तरमीम दर्ज नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भू नक्शा से प्राप्त नक्शें में 6246/4547, 6247/4547, एवं 4547 की साबिक आ.नं. 1852/1, 1852/2, 1852/3 की बंटवारा अनुसार (नक्शा ट्रेस) तरमीम में विरोधाभास है। इसलिए नक्शे में पूर्व बंटवारा अनुसार तरमीम किए जाने हेतु प्रस्तावित तरमीम शुद्धि का प्रकरण तैयार कर वास्तु कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है प्रस्तावित तरमीम (नक्शा ट्रेस C) संलग्न है।

vi. वादपत्र की कलम 6 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

vii. वादपत्र की चरण संख्या 7, 8, 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

viii. वादपत्र की कलम 10 न्यायिक है।

ix. वादपत्र की कलम संख्या 11 के सन्दर्भ में यह है कि अन्य काश्तकार के प्रभावित होने से वादपत्र में अंकित विपक्षी संख्या 2–7 को सुना जाना अतिआवश्यक है।

x. वाद पत्र की कलम 12, 13 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। विपक्षी संख्या का जवाब दावा वास्तु कार्यवाही प्रस्तुत है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया गया की बिस्वा छोटी इकाई होने से बीघा/बिस्वा को हैक्टेयर में परिवर्तित करते समय पूर्णांक इकाई में लिया गया है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया की वर्तमान राजस्व नक्शे में वर्तमान आराजी नम्बर 6246/4547 आराजी नम्बर 6247/4547 की तरमीम दर्ज नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भू नक्शा से प्राप्त [illegible] 4547, एवं 4547 की साबिक आ.नं. 1852/1, 1852/2, 1852/3 की [illegible] [illegible]सार (नक्शा ट्रेस) तरमीम में विरोधाभास है। इसलिए नक्शे [illegible] बंटवारा [illegible] तरमीम किए जाने हेतु प्रस्तावित तरमीम शुद्धि का प्रकरण [illegible] कार्यवाही हेतु किया है तथा प्रस्तावित तरमीम (नक्शा ट्रेस C) संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला-उदयपुर(राज.)

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का रकबा बिस्वा छोटी इकाई होने से हैक्टेयर में परिवर्तित करते समय पूर्णांक इकाई में लिया गया है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है तथा आराजी नम्बर 6246/4547, 6247/4547, एवं 4547 की साबिक आ.नं. 1852/1, 1852/2, 1852/3 की तरमीम में विरोधाभास होने से तहसीलदार भीण्डर द्वारा तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्सा ट्रेस C प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में परिशिष्ठ (क) की आराजी नम्बर 6246/4547 जिसके गत आराजी नम्बर 1852/1 परिशिष्ठ (ख) की आराजी नम्बर 6247/4547 जिसके गत आराजी नम्बर 1852/2 परिशिष्ठ (ग) के आराजी नम्बर 4547 जिसके गत आराजी नम्बर 1852/3 में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C अनुसार तरमीम की जावें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

13/6/22

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Si
Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:29 IS
Reason: SelfAttested